



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228031
CG-DL-E-30062021-228031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2443]
No. 2443]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

का.आ. 2634(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 0 से कि.मी. 17.45 (बिल्डिंग चिखलवाड़ी रोड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१३.०५.२०२१ " को "लोकमत " और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 0 से कि.मी.17.45 (बिल्डिंग चिखलवाड़ी रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अर्धापूर				
	गांव का नाम: लोणी खु-				
1	173	निजी	कृषिक	0.0719	मारोती गणपत बागल (१७३)
2	173	निजी	कृषिक	0.1279	दत्ता बाबा बागल (१७३)
3	175	निजी	कृषिक	0.0694	दत्ता बाबा बागल (१७५)
4	175	निजी	कृषिक	0.1241	प्रेमिता राजकुमार रणवीर (१७५)
5	188	निजी	कृषिक	0.1451	देवराव रामा लोणे (१८८)
6	188	निजी	कृषिक	0.092	सटवाजी भागोजी लोणे (१८८)
7	188	निजी	कृषिक	0.0331	कमलाबाई अनिरुद्ध लोणे (१८८)
8	188	निजी	कृषिक	0.0131	शारदाबाई रामा (१८८)
9	188	निजी	कृषिक	0.0019	राजेश निवृत्ती लोणे (१८८)
10	188	निजी	कृषिक	0.0138	दिगंबर गणपत (१८८)
11	188	निजी	कृषिक	0.0047	नाला (१८८)
12	201	निजी	कृषिक	0.0912	युवराज धर्माजी, विजय धर्माजी, बालाजी धर्माजी वायवळ, धर्माजी कामाजी (२०१)
			कुल	0.7882	

[फा. सं. 12037/35/2017-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

S.O. 2634(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land

specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-752I on the stretch of land from Km. 0 to Km. 17.45 (New Administrative Building Chikhalwadi road Nanded) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 13.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-752I in the stretch of land from Km. 0 to Km. 17.45 (New Administrative Building Chikhalwadi road Nanded) in the district of NANDED in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ardhapur				
	Village: Loni Kh.				
1	173	Private	Agriculture	0.0719	Maroti Ganpat Bagal 173
2	173	Private	Agriculture	0.1279	Datta Baba Bagal 173
3	175	Private	Agriculture	0.0694	Datta Baba Bagal 175
4	175	Private	Agriculture	0.1241	Premita Rajkumar Ranvir 175
5	188	Private	Agriculture	0.1451	Devrao Rama Lone 188
6	188	Private	Agriculture	0.092	Satvaji Bhagoji Lone 188
7	188	Private	Agriculture	0.0331	Kamalabai Aniruddha Lone 188
8	188	Private	Agriculture	0.0131	Shardabai Rama 188

9	188	Private	Agriculture	0.0019	Rajesh Nivrutti Lone 188
10	188	Private	Agriculture	0.0138	Digambar Ganpat 188
11	188	Private	Agriculture	0.0047	Canal 188
12	201	Private	Agriculture	0.0912	Yuvraj Dharmaji, Vijay Dharmaji, Balaji Dharmaji vayval, Dharmaji Kamaji 201
			TOTAL	0.7882	

[F. No. 12037/35/2017-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Director